सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 114/2017 अपील (RCMS/2017/~~00104~~) 00109
पंजीयन दिनांक – 05.09.2017
निर्णय दिनांक – 20.08.2018

1. श्रीमती ढऊ· बाई पुत्री श्री लिम्बा भील, निवासी आम्बाकला, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती भूरी बाई पत्नि श्री देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती कमला पुत्री श्री देवा भील (गमेती), निवासी तितरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

3. मु. रूपा पुत्री श्री लिम्बा भील (गमेती) पत्नि श्री रोडाजी, निवासी आम्बाकला, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

– फोरमल रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का प्रकरण संख्या 44/2014 निर्णय दिनांक 05.06.2017

निर्णय

दिनांक 20.08.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का प्रकरण संख्या 44/2014 निर्णय दिनांक 05.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्रीमती ढऊ बाई द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत की कि ग्राम तितरड़ी, तहसील गिर्वा के आराजी न. 2214 रकबा 0.1100 व आराजी नम्बर 2215 रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि में से 0.0480 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 के पति तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 के पिता पूर्व में विक्रय कर चुके है। जिसके नये नम्बर 3479/2214 बने तथा आराजी नम्बर 2215 का शेष रकबा 0.0720 भूमि श्री लिम्बा पिता जालमा भील के नाम दर्ज थी तथा इसी के साथ अन्य आराजीयात की भूमि आराजी नम्बर 3479/2215, रकबा 0.0480, आराजी नम्बर 2239 रकबा 0.02100 व आराजी नम्बर 2241 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 2243 रकबा 0.0550 भी दर्ज थी जो कि लिम्बा के पुत्र देवा जो अपीलान्ट का भाई था, ने अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी है। लिम्बा का स्वर्गवास हो चुका है। लिम्बा के तीन सन्तानें हुई जिसमें देवा पुत्र, रूपा पुत्री व ढऊ पुत्री है। देवा के कोई पुत्र नहीं हुआ केवल मात्र एक पुत्री कमला हुई एवं उसकी पत्नि भूरी बाई है। अधीनस्थ न्यायालय में लिम्बा के मरने के बाद जो नामान्तरकरण संख्या 349 पारित किया गया, के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर ने निर्णय दिनांक 05.06.2017 में निम्नांकित कथन कहते हुए उक्त अपील अस्वीकार की–

> ''अपीलान्ट में मियाद के संबंध में विरोधाभासी कथन किये है एवं अपीलान्ट को नामान्तरकरण की पूर्व से ही जानकारी थी। जब देवा जमीन का विक्रय कर रहा था उसका ज्ञान तो उसे पूर्व से ही था। उनको यह भी ज्ञान अच्छी तरह से होगा कि हमारे पिता स्वर्गीय लिम्बा की भुमि देवा के नाम दर्ज है। जिसके कारण ही वह भूमियों का विक्रय कर रहा है। माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेकानेक विनिर्णयों में देरी की क्षमा करने के सम्बन्ध में इस आशय का मुलभुत सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जब तक अपीलान्ट द्वारा अपील दायर करने के सम्बन्ध में की गई देरी बाबत सत्य विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण से न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता है तब तक अपील दायर करने में की गई देरी को कण्डोन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथन विश्वसनीय एवं संतोषजनक नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा दो नामान्तरकरण की अपीले एक साथ में की गई है एवं प्रस्तुत अपील

देवा के निधन के पश्चात् उनके विधिक वारिसानों के विरूद्ध की गई है। अतः अपील अपीलान्टगण मियाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गई क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज की जाती है।''

उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एक तरफा बहस दिनांक 10.07.2018 एवं 13.08.2018 को सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि आराजी नम्बर 2215 का शेष रकबा 0.0720 भूमि श्री लिम्बा पिता जालमा भील के नाम दर्ज थी तथा इसी के साथ अन्य आराजीयात की भूमि आराजी नम्बर 3479/2215, रकबा 0.0480, आराजी नम्बर 2239 रकबा 0.02100 व आराजी नम्बर 2241 रकबा 0.0050, आराजी नम्बर 2243 रकबा 0.0550 भी दर्ज थी जो लिम्बा के अकेले पुत्र जो कि अपीलान्ट का भाई था, चुपके चुपके म्यूटेशन कराकर अपने नाम दर्ज करा ली तथा जब जमीन बेचने लगा तो अपीलान्ट ने कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, आप अकेले बेच नहीं सकते है। इस पर अपीलान्ट ने तुरन्त पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपके पिताजी के स्वर्गवास होने ही देवा ने चुपके चुपके कथित भूमि का म्यूटेशन अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया तथाकथित म्यूटेशन खोलने से पहले न तो अपीलान्ट को सूचना दी, न अपीलान्ट को सुना ही गया इस कारण सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 349 की जानकारी होते ही म्यूटेशन की नकल प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की और धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में मयाद के प्रार्थना पत्र पर विचार किये बिना मयाद के आधार पर अपील निरस्त कर दी जो बिल्कुल काबिल निरस्त है। आदेश मेरिट पर किया जाना था। लड़कियां भी सिड्युल ट्राईब में वारिस होती है तथा लड़कियों का नाम भी पिता के मरने के बाद खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस मामलें में लिम्बा के स्वर्गवास होने उपरान्त केवल देवा के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो गलत होकर काबिल निरस्त है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में तर्क दिया है कि नामान्तरकरण सन् 1993 में हुआ व इतने वर्षों तक अपील पेश नहीं की इसका कोई वास्तविक कारण नहीं है व इसके आधार पर अपील मयाद के बाहर मानते हुए निरस्त कर दी जो बिल्कुल गलत है, ऐसे मामलें में तारीख ज्ञान से अपील को अन्दर मयाद माना जाना चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेकानेक विनिर्णयों में प्रतिपादित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने दृढ़ता से तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 349 तस्दीक किये जाने समय सभी पक्षों को नहीं सुना गया एवं अपीलान्ट को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से तथा अपील दायर करने में की गई देरी क्षमा योग्य नहीं होने से अपील में गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किये बिना मयाद के बिन्दु पर खारीज की गई। प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि निर्णय दिनांक 05.06.2017 पारित किये जाने के समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण गुणावगुण पर कोई मत किये बिना पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण मयाद कण्डोन करते हुए गुणावगुण पर तय करने हेतु पुनः जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में मयाद कण्डोन करते हुए, पक्षकारों को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर